मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

योजनाओं की जानकारी

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

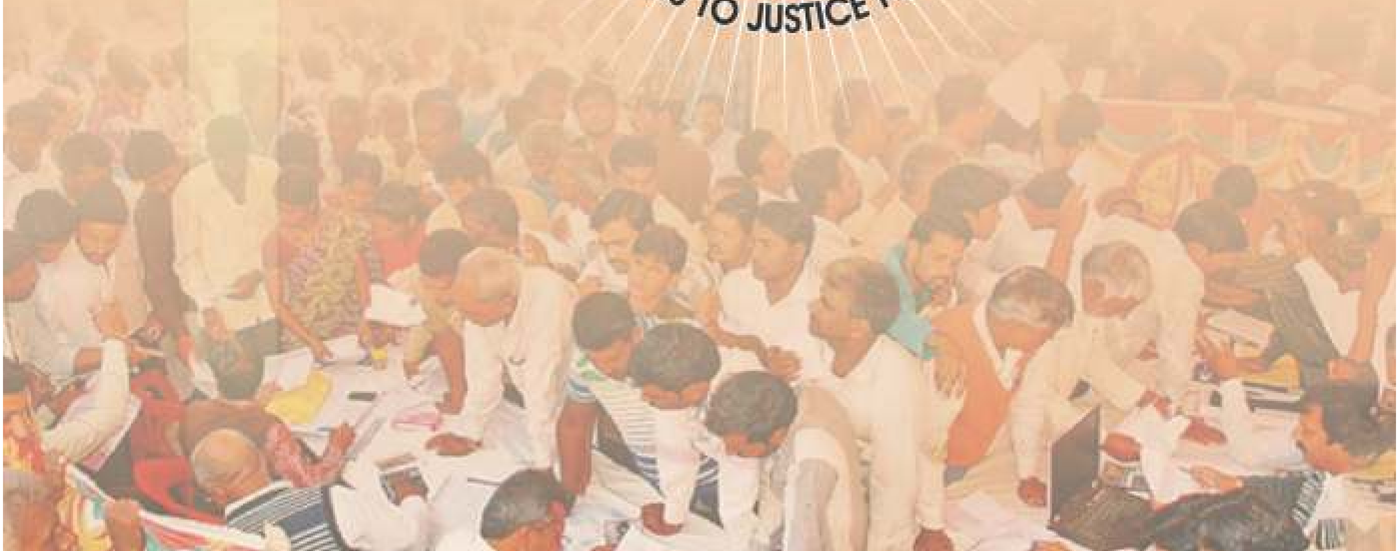

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर

दूरभाष क्रमांक : 0761–2678352, फैक्स क्रमांक : 0761–2678537

वेबसाईट : www.mpslsa.nic.in ईमेल : mplsajab@nic.in

Justice Sanjay Yadav
Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh and
Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority

संदेश

हमारे संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करती है, क्योंकि न्याय की प्राप्ति व समान संरक्षण लोकतंत्र का मूलभूत उद्देश्य है। परंतु अधिकारों के समुचित ज्ञान व आर्थिक साधनों के अभाव में समाज के एक बड़े वर्ग, विशेष तौर पर दबे–सताए गये व जरूरतमंद लोग न्याय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जब उचित शिकायत रखने वाले लोग यह नहीं जानते कि उनके लिए क्या उपाय हैं अथवा उन उपायों तक उनकी पहुंच सुगम नहीं है, तब पारिणामिक कुंठा व रोष, असंतोष एवं हिंसा को जन्म देता है। अतः विधिक जागरूकता फैलाकर, विधिक सहायता उपलब्ध कराकर तथा सस्ते व त्वरित विधिक उपाय सुनिश्चित करते हुए न्याय सब के लिए को उपलब्ध कराने की महती आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा (विधिक सहायता / सलाह) योजना, लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर स्कीम 1999, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना 2001, जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना, मजिस्ट्रेट न्यायालयों में "विधिक सहायता अधिवक्ता योजना", पैरालीगल क्लीनिक, विवाद विहीन ग्राम, महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई, श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ एवं पैरालीगल वालेंटियर्स की योजनाओं की जानकारी सामान्यजन तक पहुंचाने के लिए इस पुस्तक का प्रकाशन कराया जा रहा है ताकि इसके माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है उसकी जानकारी सामान्यजन को हो सके और इसका अधिक से अधिक लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। यह पत्रिका आमजन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को इस पुस्तिका के प्रकाशन की सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देता हूँ।

संजय यादव

अनुक्रमणिका

1.	विधिक सेवा (विधिक सहायता/सलाह) योजना	3
2.	लोक अदालत	8
3.	विधिक साक्षरता शिविर स्कीम, 1999	16
4.	पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना 2001	28
5.	जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना	38
6.	मजिस्ट्रेट न्यायालयों में "विधिक सहायता अधिवक्ता योजना"	45
7.	पैरा लीगल क्लीनिक	55
8.	विवाद विहीन ग्राम	58
9.	महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई	65
10.	श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ	67
11.	पैरालीगल वालेन्टियर्स	69

1

विधिक सहायता तथा विधिक सलाह योजना

विधिक सेवा (विधिक सहायता/सलाह) योजना

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा समाज के गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरूद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है।

विधिक सेवायें कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ?

कोई भी ऐसा व्यक्ति निःशुल्क विधिक सेवायें प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसकी वर्ष भर की आमदनी एक लाख रूपये से ज्यादा की नहीं है। इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणी के सभी व्यक्ति भी बिना आय सीमा के बंधन के निःशुल्क विधिक सेवायें प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

1. जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,
2. ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है या जिससे बेगार कराया जा रहा हो,
3. महिला या बालक हो,
4. ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ्य है या अन्यथा असमर्थ है, या निर्योग्य है निर्योग्य का तात्पर्य है :–

(क) अन्धापन

(ख) कमजोर दिखाई देना

(ग) जिसे कुष्ट रोग है

(घ) कम सुनाई देना

(ड.) जो चल फिर नहीं सकता

(च) जो दिमागी रूप से बीमार हो।

5. ऐसा व्यक्ति जो बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित है,
6. ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार है,
7. ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी है,

किस तरह की विधिक सहायता मिलती है :–

विधिक सेवा के पात्र व्यक्ति को मामले में लगने वाली :–

1. कोर्टफीस,
2. तलवाना,
3. टाईपिंग/फोटोकापी खर्च,
4. गवाह का खर्च,
5. अनुवाद कराने में लगने वाला खर्च,
6. निर्णय/आदेश तथा अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च,
7. वकील फीस का भुगतान किया जाता है तथा उसे निःशुल्क विधिक सलाह भी प्रदान की जाती है।

उपरोक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों/अधिकरणों, उच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है।

विधिक सेवा कैसे प्राप्त की जाये ?

उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए कोई भी पात्र व्यक्ति क्रमशः उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उप समिति, जिला न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को लिखित में एक आवेदन करेगा जिसके साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र होगा । यदि आवेदक निरक्षर है या

हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है तो सचिव उनका मौखिक निवेदन अभिलिखित करेगा तथा उस पर उसका अंगूठे का चिन्ह प्राप्त करेगा और ऐसा अभिलेख उसका आवेदन समझा जायेगा।

विधिक सवा प्राप्त व्यक्ति के कर्तव्य :–

विधिक सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने आवेदन पत्र में कोई तथ्य न छिपाये तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पूर्ण सहयोग प्रदान करे। यदि विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय कोई डिक्री या कोई आदेश पारित करते हुए खर्चे या अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करता है तो विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति को समस्त खर्च, प्रभार तथा व्यय की गई राशि जो उसे विधिक सेवा प्रदान करने में दी गई है, वापिस लौटाना होती है।

किन–किन न्यायालयों में और किन मुकदमों में विधिक सहायता मिलती है :–

विधिक सहायता सभी प्रकार की अदालतों में जैसे– उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, कमिश्नर, कलेक्टर, एस.डी.ओ., तहसीलदार की अदालत, श्रम न्यायालय यानि जितनी भी अदालतें हैं, चाहे वे फौजदारी की हों, दीवानी की हों, राजस्व की हों या अपील की सुनवाई करने वाली हों, सबके लिए और सभी तरह के मुकदमों में विधिक सहायता दी जाती है।

किन–किन मुकदमों में विधिक सहायता नहीं मिलती है :–

1. मानहानि या विद्वेषपूर्ण मामलों में, तथा न्यायालय की अवमानना तथा शपथ भंग के मामलों में।
2. किसी चुनाव से संबंधित मामलों में।
3. ऐसे अपराधों में जिनमें जुर्माना 50/– रूपये से अधिक न हो।

4. आर्थिक अपराधों एवं सामाजिक अपराधों के संबंध में मुकदमा होने पर विधिक सहायता नहीं मिलती। परन्तु अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण ऐसे मुकदमों में भी विधिक सेवा प्रदान कर सकेगा।
5. जहां कोई व्यक्ति किसी मुकदमें में पक्षकार का प्रतिनिधि है अथवा वह मुकदमें में खास पक्षकार नहीं है।
6. व्यापार तथा कारोबार करने के संबंध में धन या सम्पत्ति की वसूली के लिए कोई मुकदमा चलाने हेतु।

उच्च न्यायालय में विधिक सहायता :–

कोई पात्र व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में अपना मुकदमा लगाना चाहता है या उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, उसे उच्च न्यायालय के लिए विधिक सहायता मिलेगी। यदि मुकदमा उच्च न्यायालय जबलपुर में चलाना चाहता है या चल रहा है तो वह सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उप समिति जबलपुर को, यदि प्रकरण खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर में है या चलाना चाहता है, तो सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा उपसमिति इन्दौर/ग्वालियर को अपना आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

जिले की सभी प्रकार के न्यायालयों में विधिक सहायता :–

यदि कोई पात्र व्यक्ति जिले की किसी भी अदालत में अपना मुकदमा चलाना चाहता है या उसके खिलाफ मुकदमा चलता है, तो वह जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस जाकर जिला न्यायालय/अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण, सचिव या जिला विधिक सहायता अधिकारी को अपना आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

तहसील स्तर की सभी न्यायालयों में विधिक सहायता :–

तहसील की सभी प्रकार की अदालतों के लिए विधिक सहायता लेने के लिए उसे न्यायालय में तहसील विधिक सेवा समिति जाकर तहसील समिति के अध्यक्ष जो उस तहसील के बड़े न्यायाधीश होते हैं, को आवेदन दे सकता है और विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

2

लोक अदालत योजना

लोक अदालत योजना

लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया का एक अंग है जिसकी आधार शिला सत्य, साम्या, न्याय और ऋजुता है और विवादों का निपटारा आपसी सहमति, सूझ–बूझ, जो प्रेरणा से मिलती है, से किया जाता है और विधिक प्रक्रिया संबंधी प्रक्रिया नहीं होती और न्याय की गति त्वरित होती है तथा निर्णय भी त्वरित प्राप्त होता है जिसका स्वरूप अन्तिम होता है।

लोक अदालत के प्रकार –

पारम्परिक लोक अदालत –

ऐसी लोक अदालत ऐसे समय तथा स्थान पर अवकाश वाले शनिवार, रविवार और अवकाश के दिनों पर आयोजित की जाएगी जैसा कि यथास्थिति राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति जो कि लोक अदालत का आयोजन करती है, उपयुक्त समझें।

स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत –

इसमें स्थायी खण्डपीठ होती है और ये ऐसे स्थान तथा समय पर आयोजित की जाती है कि यथास्थिति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उपयुक्त समझे और इसका स्वरूप स्थायी एवं निरंतर होता है।

लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत –

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 ख के अंतर्गत मध्यप्रदेश में लोकोपयोगी सेवा जैसे :– (1) वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा या (2) डाक, तार या टेलीफोन सेवा या (3) किसी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय या (4) सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली या (5) अस्पताल या औषधालय सेवा या (6) बीमा सेवा से संबंधित विवाद, जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं के निराकरण के लिए

प्रदेश के 50 सिविल जिला न्यायालयों में स्थायी लोक अदालत स्थापित की गई है।

लोक अदालतों में मामलों का प्रकार –

1. सक्षम न्यायालय में लंबित स्तरीय प्रकरण।
2. न्यायालय में लंबित होने के पूर्व स्तर के विवाद।

लोक अदालतों की कार्य प्रक्रिया

लोक अदालत की पीठ बनाई जाती है और प्रत्येक पीठ उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रत्येक मामले में बिना किसी विबाध्यता, धमकी या अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या दुर्व्यपदेशन के सुलह समझौते कराने का निष्कपट प्रयास करती है, जो कि विधि सम्मत होता है और साम्या, न्याय और ऋजुता पर आधारित होता है।

लोक अदालत के लाभ –

1. पक्षकारों के मध्य आपसी सद्‌भाव बढ़ता है व कटुता समाप्त होती है।
2. समय, धन व श्रम की बचत होती है।
3. लोक अदालतों में निराकृत मामलों में लगा न्याय शुल्क वापस हो जाता है।
4. लोक अदालत द्वारा पारित आदेश/अवार्ड की निःशुल्क सत्यप्रतिलिपि पक्षकारों को तुरंत प्रदान की जाती है।
5. लोक अदालत का आदेश/अवार्ड अन्तिम होता है व इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है।
6. आदेश/अवार्ड का फल तुरंत प्राप्त होता है।
7. पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है जिससे सुख शान्ति मिलती है।

लोक अदालत का आयोजन –

न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों या मुकदमेबाजी के पूर्ण के विवादों को आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किये जाने हेतु लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।

प्रत्येक माह में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय परिसर में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें पक्षकार किसी भी दिन जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं और जिससे मामले का निपटारा आपसी समझौता/सुलह के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। पारम्परिक लोक अदालतों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है।

लोक अदालत में विवाद निपटवाने में
या
न्यायालय में विवाद लड़ने में सोंचे भलाई किसमें हैं ?

इसमें	या	इसमें
1. आपराधिक प्रवृत्ति जागृत कर खराब नागरिक कहलाने में।	या	अच्छी प्रवृत्ति जागृत कर अच्छे नागरिक कहलाने में।
2. तनाव युक्त जीवन जीने में।	या	तनाव मुक्त जीवन जीने में।
3. वर्षों तक मुकदमों के निर्णय के इंतजार में।	या	तुरन्त शांतिपूर्ण सद्भावना द्वारा समझौते से विवादों को लोक अदालत व विधिक सहायता के माध्यम से निपटारे में।
4. हर तारीख पर दिन प्रतिदिन के कार्यों को छोड़कर न्यायालय का चक्कर लगाने में।	या	एक निर्णय में समस्त मुकदमेंबाजी से छुटकारा पाने में।
5. निर्णय के उपरान्त अपील रिवीजन व निष्पादनवाद लड़ने में भारी खर्च करने में और निर्णय की प्रतीक्षा में।	या	सुलह समझौते से सूझबूझ के आधार पर निर्णय पाकर अपील आदि व उस पर होने वाले खर्चे से छुटकारा पाने में।
6. निर्णय के प्रति उत्सुकता अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव में लिप्त होने में।	या	शांतिपूर्ण ढ़ंग से लोक अदालत द्वारा सूझ–बूझ, सह–सहमति के आधार पर सम्मानजनक निर्णय पाकर तनावमुक्त होने में।
7. अपने प्रतिपक्षों के प्रति लगातार द्वेष रखने तथा विरासत में द्वेष छोड़कर संसार त्यागने में।	या	सुलह या राजीनामें द्वारा सद्भावना निर्णय प्राप्त कर द्वेष भावना को मिटाकर प्रतिपक्षी के साथ मैत्री और भाईचारे के संबंध बनाने में।
8. एक पक्ष की विजय (जो आपका विपक्षी हो सकता है) व दूसरे की पक्ष हार व अपमान (जो आप स्वयं हो सकते हैं) में।	या	न किसी की हार न किसी की जीत दोनों पक्षों के साथ समान न्याय में।
9. आपस में झगड़ कर अपने को कमजोर कर समाज को खराब करने में।	या	अपने को मजबूत कर आपस में जुड़ कर समाज को सुदृढ़ करने में।
10. विवाद को असत्य की नींव पर खड़ा करने में।	या	विवाद को सत्य की नींव पर सुलझाने में।

धारा 22–बी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए पृथक से स्थायी लोक अदालत

स्थायी लोक अदालतों की स्थापना एवं गठन –

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश में "लोक उपयोगी सेवाओं" से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए समस्त जिलों में स्थायी लोक अदालतों की पृथक से स्थापना की गई है। जो न्यायालय परिसर में कार्यरत् हैं। वर्तमान में इन स्थायी लोक अदालतों की बैठकें माह के अंतिम शनिवार को आयोजित की जाती है।

समस्त जिला न्यायालय में पदस्थ प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को उस जिले की स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष नियुक्त

किया गया है, उपरोक्त जिलों में पदस्थ कार्यपालन यंत्री (सिविल) लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपरोक्त स्थायी लोक अदालत का सदस्य नामांकित किया गया है। विवादों की सुनवाई स्थाई लोक अदालत की पीठ द्वारा की जाती है।

लोक उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत कौन–कौन से प्रकरण आते हैं–

उपरोक्त स्थायी लोक अदालतें, लोक उपयोगी सेवायें जैसे

(1) वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, या

(2) डाक, तार या टेलीफोन सेवा, या

(3) किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, या

(4) सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली, या

(5) अस्पताल या औषधालय सेवा, या

(6) बीमा सेवा, से संबंधित विवादों का संज्ञान लेगी।

"सेवाओं" से तात्पर्य ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा से है जो उसके संभावित प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है।

कोई भी व्यक्ति लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित ऐसे विवाद जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं उन विवादों का निराकरण जिला न्यायालय में स्थापित उपरोक्त स्थायी लोक अदालत के माध्यम से करा सकता है।

स्थायी लोक अदालत में आवेदन करने की प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली –

उपरोक्त "सेवाओं" से संबंधित किसी विवाद का कोई पक्षकार, विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाने के पूर्व, विवाद के निपटारे के लिये उपरोक्त स्थायी लोक अदालत के समक्ष निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

वर्जन : कौन–कौन से प्रकरण नहीं रखे जा सकेंगे

(1) स्थायी लोक अदालत को ऐसे अपराध से, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है, संबंधित किसी विषय के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी,

(2) साथ ही उपरोक्त स्थायी लोक अदालत को ऐसे मामलों में भी अधिकारिता नहीं होगी जिसमें विवादित संपत्ति का मूल्य 10 लाख रूपये से अधिक है।

(3) स्थायी लोक अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, उस आवेदन का कोई पक्षकार उसी विवाद के लिए किसी न्यायालय की अधिकारिता का अवलम्ब नहीं लेगा।

उपरोक्त स्थायी लोक अदालतें, विवाद के निराकरण के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अध्याय 6(क) में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेंगी अर्थात् स्थायी लोक अदालत सुलह और समझौते के आधार पर या विवाद का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करते समय नैसर्गिक न्याय, निष्पक्षता, साम्या और न्याय के अन्य सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से आबद्ध नहीं होगी।

उपरोक्त स्थायी लोक अदालत पक्षकारों को विवादों के स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति में सौहार्द्रपूर्ण समझौते पर पहुंचने में उनके प्रयास में सहायता करेगा अर्थात् स्थायी लोक अदालत विवाद का सुलह, समझौते के आधार पर निराकरण का प्रयास करेंगी और यदि पक्षकार विवाद के समझौते के लिए किसी करार पर पहुंचने पर असफल रहते हैं, और यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है तो स्थायी लोक अदालत विवाद का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय कर देगी।

पक्षकारों के कर्त्तव्य एवं दायित्व –

आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का यह कर्तव्य होगा कि वह आवेदन से संबंधित विवाद का सुलह कराने में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावनापूर्वक सहयोग करे और स्थायी लोक अदालत के, उसके समक्ष

साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अनुदेश का अनुपालन करे।

अधिनिर्णय – अंतिम एवं बंधनकारी –

लोक उपयोगी सेवा से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए गठित स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय, स्थायी लोक अदालत गठन करने वाले व्यक्तियों के बहुमत द्वारा होगा।

उपरोक्त स्थायी लोक अदालत द्वारा गुणागुण के आधार पर या सुलह, समझौता करार के आधार पर दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होकर पक्षकारों पर बंधनकारी होगा। वह अधिनिर्णय किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा जिस प्रकार वह उस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन करता है।

अन्य जानकारी –

इन स्थायी लोक अदालतों के गठन से लोक उपयोगी सेवा से संबंधित विवादों का न केवल शीघ्र निराकरण होगा बल्कि उसका फैसला भी अन्तिम होगा, जिससे संबंधित पक्षकारों को सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय प्राप्त होगा।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क कर सकते हैं –

1. **जिला स्तर पर** – जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष या सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
2. **तहसील स्तर पर** – दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,
3. **सदस्य सचिव,** मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर से।

———

3

विधिक साक्षरता शिविर योजना

विधिक साक्षरता शिविर स्कीम, 1999

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 1999

फा.नं. 38–स्था.– राविसेप्रा– 99– विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) तथा (घ) के साथ पठित धारा 2 के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, राज्य प्राधिकरण, एतद् द्वारा निम्नलिखित स्कीम विरचित करता है, अर्थात् :–

स्कीम

1. **संक्षिप्त नाम** – इस स्कीम का संक्षिप्त नाम "विधिक साक्षरता शिविर स्कीम, 1999" है।
2. **परिभाषा** – इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

"विधिक सहायता" से अभिप्रेत है, उन व्यक्तियों को, जो विधिक सेवा के लिए फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं, वकील उपलब्ध कराना विधिक सहायता से अभिप्रेत है। न्यायालय प्रकरणों में न केवल विधिक प्रतिनिधित्व बल्कि इसमें विधिक सलाह, परामर्श देना, माध्यस्थम् तथा सुलह कराना, उनके अधिकारों, कर्तव्यों और बाध्यताओं आदि के बारे में विधि संबंधी जागरूकता का सृजन भी सम्मिलित है, दूसरे शब्दों में विशेषाधिकारहीन गरीब, उपेक्षित और निर्धन व्यक्तियों के विधिक और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है, इसका उद्देश्य किसी भी पुरूष, महिला या बालक को, केवल इसलिए कि वह गरीब या निर्धन पुरूष या महिला है, विधि के समान संरक्षण से इंकार को असंभव बनाता है।

हमारा संविधान सभी नागरिकों को समान न्याय का वचन देता है। हमारे लोकतांत्रिक समाज में समान न्याय का वचन, हमसे अपेक्षा करता है कि हम इस वचन को वास्तविकता में परिवर्तित करने के इस मकान कार्य के प्रति अपने आपको समर्पित करें क्योंकि हमारे लाखों नागरिक एकरूप

में या दूसरे रूप में अन्याय के विरूद्ध प्रतितोष का दावा करने से दूर रहते हैं, एक सच्चे लोकतंत्र की मौलिकताओं में से एक यह है कि उसके नागरिक अपने विधिक अधिकारों के प्रति शिक्षित हों और यह कि उन्हें अपने अधिकारों के प्राख्यापन में या उनकी सुरक्षा के लिए विधिक सहायता का भी हकदार होना चाहिए।

अतएव विधिक साक्षरता का उद्गम विधियों और विधिक प्रक्रियाओं के समाजीकरण की अग्रगामी प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से परिलक्षित होना चाहिए। विधिक साक्षरता में सामान्य जन के लिए विधियों और विधि प्रक्रिया के संबंध में मूलभूत जागरूकता अंतर्निहित है जो विकास की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण भागीदारिता के लिए व्यक्ति को तैयार करने में सहायक है।

3. **उद्देश्य** – विधिक साक्षरता कैंप के बारे में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

(एक) विधिक साक्षरता की विषय वस्तुओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को तैयार करना।

(दो) विधिक धारणाओं या विधिक प्रक्रियाओं का समर्थन करने या दृष्टांत देने की दृष्टि से विधिक साक्षरता की विषय वस्तुओं में दृश्यों के उपयोग पर विचार करना।

(तीन) विधिक साक्षरता पर नमूने की विषय वस्तुओं को तैयार करने का उपक्रम करना।

(चार) विधिक साक्षरता पर विद्यमान विषय वस्तुओं का पुनर्विलोकन करना।

(पांच) ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही साथ शहरी गंदी बस्तियों में विधिक साक्षरता कैंप का आयोजन करना जो "विधिक साक्षरता शिविर" के रूप में जाने जाएंगे।

(छह) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, कृषकों तथा श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए समाज के कमजोर वर्गों को केन्द्रीय सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी समस्त स्कीमों और समस्त कानूनी विधियों, नियमों आदि

जिन्हें उनके हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना।

4. **क्षेत्र की पहचान** – उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति अपने जिले में विधिक साक्षरता कैंप आयोजित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही साथ शहरी गंदी बस्तियों का भी चयन करेगी।

5. **"साक्षरता दल" का गठन** – कार्यपालक अध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति प्रत्येक क्षेत्र के लिए साक्षरता दल (टीम) का गठन करेगी जो "साक्षरता दल" के रूप में जाना जाएगा।

6. **उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिए "साक्षरता दल" का गठन**

(1) "साक्षरता दल" में निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :–

1. अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	अध्यक्ष
2. सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	सचिव
3. अध्यक्ष, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन	सदस्य
4. निदेशक/अपर निदेशक, प्रचार	सदस्य
5. जिला विधिक सहायता अधिकारी	संयोजक

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उन व्यक्तियों में से, जिनके पास निम्नलिखित अनुभव और अर्हताएं हैं, 7 सदस्यों से अनधिक अन्य को नाम निर्दिष्ट करेगा जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, विधि के विद्यार्थियों, विधि शिक्षकों तथा निःशक्त व्यक्तियों में से प्रत्येक से कम से कम एक सदस्य सम्मिलित होगा :–

(क) ऐसा प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, बालकों, अल्प

संख्यकों, ग्रामीण और नगरीय श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान में लगा हुआ हो, या

(ख) विधि क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति,

(ग) कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो विधिक चेतना स्कीम के क्रियान्वयन में विशेष रूप से अभिरूचि रखता है, या

(घ) कोई ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में शामिल है या शामिल था, या

(ङ.) विधि के विद्यार्थी जो अधिनियम या उसके अधीन नियम या नियमों द्वारा परिकल्पित स्कीम में शामिल हैं।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के "साक्षरता दल" की पदावधि और नियुक्ति की अन्य शर्तें :–

(एक) अवधि – उच्च न्यायालय विधिक साक्षरता दल के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी और वे एक और पदावधि के लिए पुनः नाम निर्दिष्ट किए जाने हेतु पात्र होंगे।

(दो) हटाया जाना– उच्च न्यायालय विधिक साक्षरता दल के किसी सदस्य को मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि :–

(क) वह पर्याप्त कारण के बिना उच्च न्यायालय विधिक साक्षरता दल समिति के लगातार तीन सम्मिलनों में उपस्थित होने में असफल रहता है, या

(ख) वह दिवालिए के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है, या

(ग) वह ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें कि अध्यक्ष की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या

(घ) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है, या

(ङ.) वह अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग कर चुका है कि जिससे उच्च न्यायालय विधिक साक्षरता दल में उसका बना रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो,

परन्तु किसी भी ऐसे सदस्य को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना उच्च न्यायालय विधिक साक्षरता दल से नहीं हटाया जाएगा।

(तीन) त्याग पत्र– कोई सदस्य स्वयं अपने हाथ से लिखित में अध्यक्ष को संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय विधिक साक्षरता दल से पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग पत्र उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख से या त्याग पत्र दिए जाने की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर इसमें से जो भी पूर्वतर हो प्रभावशील होगा।

(चार) रिक्त – यदि कोई सदस्य किसी भी कारण से उच्च न्यायालय विधिक साक्षरता दल के अधीन नाम निर्दिष्ट किया जाता है तो रिक्ति को उसी रीति में भरा जाएगा जैसा कि मूल रूप में नाम निर्देशन हो और इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य की, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नाम निर्दिष्ट किया गया है, शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

(पांच) भत्ते – उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए नाम निर्दिष्ट समस्त सदस्य, उच्च न्यायालय विधिक साक्षरता दल द्वारा आयोजित सम्मिलन/कैंप के संबंध में की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के हकदार होंगे तथा उनका भुगतान ऐसी दरों पर किया जाएगा जैसा कि एक प्रथम श्रेणी अधिकारी को जब वह पदीय कर्तव्य पर यात्रा कर रहा हो, अनुज्ञेय हैं या जैसा कि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए यदि कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो वह उन्हीं दरों से जिसके लिए वह उसे लागू सेवा नियमों के अधीन हकदार हैं, यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा और उसी विभाग से, प्राप्त करेगा जिसमें वह नियोजित है।

(छह) सचिव – उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव या उच्च न्यायालय विधिक साक्षरता दल के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट

किया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय विधिक साक्षरता दल का सचिव होगा।

(3) उच्च न्यायालय विधिक साक्षरता दल के कृत्य :–

(एक) उच्च न्यायालय विधिक साक्षरता दल का यह कर्तव्य होगा कि वह विधि संबंधी जागरूकता के संबंध में राज्य प्राधिकरण की नीति और निर्देशों को प्रभावी बनाएं।

(दो) उच्च न्यायालय के कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च न्यायालय विधिक साक्षरता दल, निम्नलिखित समस्त कृत्यों या उनमें से किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात :–

(क) समाज में विशिष्टः समाज के अशिक्षित और दुर्बल वर्गों में विधि संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए विधिक साक्षरता कैंप लगाना,

(ख) विधि संबंधी जागरूकता के लिए पेमप्लेट, पुस्तकें और अन्य समाचार पत्रों का प्रकाशन/वितरण करना,

(ग) विधि संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए पैरा विधिक क्लीनिकों की स्थापना तथा नियंत्रण करना।

(घ) इस संबंध में सेमीनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करना,

(ड.) लोगों के बीच विधि संबंधी साक्षरता और विधि संबंधी जागरूकता का प्रसार करने के लिए और विशिष्ट तथा समाज के दुर्बल वर्गों को संविधान और समाज कल्याण संबंधी विधानों और अन्य अधिनियमितियों द्वारा गारंटीकृत अधिकारों और फायदों और विशेषाधिकारों के बारे में, और साथ ही, प्रशासनिक कार्यक्रमों और उपायों आदि के बारे में शिक्षित करने के लिए उपयुक्त उपाय करना।

(च) निचले स्तर पर, विशिष्ट तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं एवं ग्रामीण और शहरी श्रमिकों के बीच कार्य करने वाली स्वैच्छिक समाज कल्याण संस्थाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना,

(छ) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सामान्य व्यक्तियों की जानकारी के लिए वीडियो/डाक्यूमेंटरी फिल्म, प्रचार सामग्री, साहित्य और प्रकाशनों को उपलब्ध कराना।

7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए साक्षरता दल का गठन

(1) साक्षरता दल में निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :–

1. संबंधित जिले का जिला न्यायाधीश	अध्यक्ष
2. जिला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष	सदस्य
3. जिले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां जिला न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का मुख्यालय एक ही नहीं हो वहां जिला न्यायाधीश के मुख्यालय का वरिष्ठतम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	सदस्य
4. उपसंचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय	सदस्य
5. जन संपर्क अधिकारी	सदस्य
6. जिला विधिक सहायता अधिकारी	सचिव

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के परामर्श से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष उन व्यक्तियों में से, जिनके पास वही अनुभव और अर्हताएं हैं, जैसी कि उच्च न्यायालय के साक्षरता दल के सदस्यों के लिए विहित है, 7 से अनधिक अन्य सदस्यों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगा, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, विधि विद्यार्थियों, विधि शिक्षकों तथा निःशक्त व्यक्तियों में से प्रत्येक से कम से कम एक सदस्य सम्मिलित होगा।

(2) जिला साक्षरता दल की पदावधि और नियुक्ति की अन्य शर्तें और साक्षरता दल के कृत्य वहीं होंगे जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के साक्षरता दल के लिए विहित है।

8. तहसील विधिक सेवा समिति के लिए साक्षरता दल का गठन

(1) साक्षरता दल में, निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :–

1. तहसील में पदस्थ वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी	अध्यक्ष
2. उप–खण्ड अधिकारी (राजस्व)	सचिव
3. तहसील बार एसोसिएशन का अध्यक्ष	सदस्य
4. अध्यक्ष, जनपद पंचायत	सदस्य
5. जिला विधिक सहायता अधिकारी	संयोजक

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के परामर्श से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष उन व्यक्तियों में से, जिनके पास वही अनुभव और अर्हताएं हैं जैसी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साक्षरता दल के सदस्यों के लिए विहित हैं, अन्य को 7 से अनधिक अन्य सदस्यों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगा, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, विधि विद्यार्थियों, विधि शिक्षकों (यदि उपलब्ध हो) तथा निःशक्त व्यक्ति में से प्रत्येक से कम से कम एक सदस्य सम्मिलित होंगे।

(3) तहसील साक्षरता दल की पदावधि और नियुक्ति की अन्य शर्तें तथा साक्षरता दल के कृत्य वही होंगे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साक्षरता दल के लिए विहित है।

9. विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का स्थान और तारीख –

किसी भी क्षेत्र में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने के लिए शिविर के स्थान का चयन यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा किया जाएगा जो मुख्यतः सार्वजनिक स्थान होगा शिविर आयोजित करने की तारीख, यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा किया जाएगा जो मुख्यतः सार्वजनिक स्थान होगा। शिविर आयोजित करने की तारीख, यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा नियत की जाएगी और स्थानों में बाजार (हाट) के दिन को प्राथमिकता दी जावेगी।

10. शिविर का आयोजन –

(1) विधिक साक्षरता कैंप में लगभग एक सौ व्यक्तियों को, जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं, विधिक ज्ञान/स्कीम की जानकारी प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

(2) मीडिया के प्रचार के लिए आवश्यक सहायता देने का अनुरोध किया जा सकेगा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस विषय को स्थानीय केन्द्रों तक ले जायेगा।

(3) साक्षरता दल का संयोजक (जिला विधिक सहायता अधिकारी) ऐसे शिविर के एक सप्ताह पूर्व शिविर आयोजन का प्रचार, सभी समुचित साधनों जैसे सिनेमा स्लाइड द्वारा, पम्पलेट, पोस्टर, स्थानीय समाचार पत्रों आदि के माध्यम से करने की व्यवस्था करेगा, राजस्व अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रत्येक ग्राम में डोंडी पिटवा कर भी प्रचार किया जा सकेगा।

(4) मुख्य न्यायमूर्ति प्रमुख संरक्षक (पेट्रन–इन–चीफ), कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण–अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण–सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति–अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण–अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के समस्त स्थानीय अधिकारी/कर्मकार, जो कल्याण स्कीमों से संबद्ध हैं, विधिक साक्षरता के निम्नलिखित संदर्भों में व्याख्यान और विचार विमर्श करने के लिए शिविर में आमंत्रित किये जा सकेंगे :–

(क) संविधान	प्रस्तावना मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, संवैधानिक उपचार।
(ख) कुटुंब विधि	विवाह, विवाह विच्छेद तथा पृथकरण भरण पोषण, विरासत और उत्तराधिकार दहेज से संबंधित विधि आदि।
(ग) सिविल विधि	सम्पत्ति अधिकार, रोक, विशिष्ट कार्य क्षति, दुर्घटना के लिए प्रतिपूर्ति, उपेक्षा या न्यूसेंस विधि आदि।
(घ) दाण्डिक विधि	सामान्य
(ड.) कल्याण संबंधी विधान	बंधक श्रमिक (उत्पादन) उपभोक्ता संरक्षण, अपमिश्रण (खाद्य तथा औषधि) पर्यावरण सुरक्षा आदि।
(च) प्रक्रियात्मक न्याय	न्याय कैसे मिले, न्यायालयों की अधिकारिता वाद चलाने का अधिकार गिरफ्तारी तथा जमानत तलाशी और अभिग्रहण विधिक सहायता का अधिकार आदि।
(छ:) नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित विधि	समान अवसर कैसे प्राप्त करें, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारिता।

(5) शिविर के संयोजक द्वारा शिविर में स्कीमों से संबंधित आवश्यक साहित्य, विवरणिका, पेम्पलेट्स, (पुस्तिका) बुकलेट आदि को संबंधित विभागों की सहायता से प्रदर्शित/वितरित कराया जाना चाहिए और विधिक साक्षरता से संबंधित अन्य सामग्री भी प्रदर्शित/वितरित की जानी चाहिए।

(6) साक्षरता दल के अध्यक्ष/सदस्यों तथा अन्य सम्माननीय आमंत्रितों को विभिन्न विषयों पर जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है, भाषण देना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के उपबंधों की प्रमुख विशेषताओं तथा विधिक सहायता, विधिक सेवा के बारे में विनियमों के सुसंगत उपबन्धों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि विधिक सेवा में केवल किसी पात्र गरीब मुकदमेंबाज को लंबित प्रकरणों में सहायता

प्रदान करना सम्मिलित नहीं है बल्कि इसमें किसी विचारण के पूर्व तथा विचारण के पश्चात् मामलों के लिए विधिक सेवा भी सम्मिलित है यह और भी कि पात्र व्यक्तियों को ऐसे अन्य सरकारी अभिकरणों, जो ऐसे व्यक्तियों को अपेक्षित सहायता नहीं दे रहे हैं और जिसके लिए वे हकदार हैं, से संबंधित उनकी समस्याओं के बारे में भी हैं विधिक सहायता दी जाएगी, "मूट कोर्ट" भी आयोजित किये जा सकेंगे।

4

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना 2001

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा (ग) के साथ पठित धारा 2 के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं धारा 8 में वर्णित के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए एतद् द्वारा निम्न योजना विरचित करता है अर्थात् :–

1. पृष्ठभूमि :

मानव व्यवहार जितना बाह्य जगत ग्रहों की गति गर्मी ठंड से प्रभावित नहीं होता उतना हमारे जीवन के संवर्गों के उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। ये अंतर्गमन की क्रियाएं ही एक समुचित समाज की संरचना करती हैं। एक व्यक्ति के जीवन की आधारशिला परिवार ही है। यदि परिवार रूपी आधारशिला की एक ईंट भी अपनी जगह से खिसक गई तो पूरी इमारत ही धराशायी हो जायेगी। आज के वैज्ञानिक युग के तनाव, चिन्ता व प्रतियोगी जीवन व स्पर्धा की भाग दौड़ में हमारी आधार शिला "परिवार" ही कमजोर हो गया है। आज के आधुनिक युग में लगभग साठ प्रतिशत परिवारों में मानसिक तनाव के कारण पारिवारिक विवाद विद्यमान है।

पारिवारिक विवादों में व्यवहार का महत्वपूर्ण स्थान है। द्वेष, क्लेश, क्रोध, लोभ, स्वार्थ आदि मनोभावों के कारण ही व्यवहार प्रभावित होता है। हर व्यक्ति का व्यवहार मानसिक व शारीरिक अवस्था पर निर्भर करता है। बुद्धिमतापूर्ण व्यवहार, संपूर्ण मस्तिष्क क्रियाओं पर आधारित होता है। इसी तरह शारीरिक अवस्था भी व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। शारीरिक या मानसिक अक्षमता भी दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करती है।

मानसिक क्षमता या सोच में दम्पत्ति में भिन्नता होगी तो धीरे–धीरे मानसिक कुण्ठा बढ़ती जाती है। अपने संवर्गों, भावनाओं में भी तारतम्यता नहीं होगी तो भी पारिवारिक विवाद बढ़ता है। भय, क्रोध, प्रेम आदि संवेग जन्मजात नहीं होते बल्कि अर्जित होते हैं। बालक अपने संवेगात्मक व्यवहार का आधार माता–पिता को मानता है और विवाहोपरान्त अपनी

दाम्पति को मानता है यदि जरा भी संवेगात्मक संतुष्टि में कमी आती है तो पारिवारिक विवाद का रूप सामने आने लगता है।

पारिवारिक विवाद में अवचेतन मन का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना चेतन मन का। कई विवादों में पाया गया है कि अपने में व्यक्तिगत कमी होने से अचेतन मन में कुण्ठा बननी शुरू हो जाती है। अपने अवचेतन मन के कारण कई तरह की मनोरचनाएं शुरू हो जाती हैं। अपनी सामाजिक एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति अपनी आत्म रक्षा हेतु तरह–तरह के कवच बनाना शुरू कर देता है। इस मानसिक कुण्ठा के कारण उदासीनता, गुस्सा आदि प्रतिरक्षा हेतु उत्पन्न हो जाते हैं। ये घटनायें पारिवारिक मारपीट व झगड़ों में भी परिवर्तित हो जाती है।

आज हर नवयुवक नवयुवतियों की सोच नियोजित है। पहले जल्दी शादी हो जाती थी अब देर से होती है। उनका समायोजन एक तरह के माहौल में हो चुका होता है। अचानक परिवर्तन को मानसिक सोच स्वीकार नहीं करती। शिक्षित वर्ग अपने अधिकार जानता है। अशिक्षित वर्ग को कानूनी सलाहकार जानकारी देते हैं। अतः वे अपने वैवाहिक विवाद का निर्णय अदालत से ही चाहते हैं। उसी निर्णय को अपनी हार या जीत का मुद्दा बना लेते हैं।

परिवार में समायोजन हेतु हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अग्रसित होना होगा। पारिवारिक विवाद में शक, वहम, अविश्वास व अहंकार आदि भावनाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। यह विजय मनोदशा पर विजय पाने से ही होगी, जो वैदिक काल से ही योग द्वारा मनःस्थिति के संतुलन हेतु बताया गया है, उसे अपनाना होगा। द्वेष, क्रोध, क्लेष, लोभ, स्वार्थ आदि भावों को मन से हटा कर, मन प्रदूषण में कमी करनी होगी। "स्वस्थ मनःस्थिति" एक स्वस्थ वातावरण बनाकर, स्वस्थ परिवार बना सकती है।

कानूनी व्यवस्था तो हर पीड़ित आदमी को संरक्षण देने को तैयार है परन्तु पारिवारिक मामले में "मनोकानून" को मानकर आगे बढ़े तो यह रास्ता पारिवारिक विवाद को समाप्त करने का आसान रास्ता होगा।

2. उद्देश्य :

भारत में प्राचीन काल से ही पंचों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही विवादों को सुलह समझौते के आधार पर समाप्त करा देने की परम्परा चली आ रही है। वास्तव में पारिवारिक विवाद की जड़ किसी न किसी व्यक्ति की विचारधारा, उसके आचरण एवं समाज में उसकी भिन्न–भिन्न भूमिकाओं में कहीं न कहीं छिपी होती है। वर्तमान परिवेश में परिवार के बड़े बुजुर्ग/मुखिया या अन्य शुभ चिन्तकों को पारिवारिक विवादों को निपटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण पारिवारिक विवादों में उलझे हुए नवदम्पत्ति न्यायालय के गलियारे तक पहुँच जाते हैं। आज दिनों दिन पारिवारिक विवादों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। न्यायिक अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया है कि समझौता अथवा संधिवार्ता किसी भी विवाद को समाप्त कराये जाने का आदर्श माध्यम है। परिवार परामर्श का मुख्य उद्देश्य यह है कि परिवार को कायम, संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाये।

वर्तमान में यह सिद्धान्त सर्वमान्य हो चुका है कि किसी भी विवाद के न्यायिक निस्तारण से पक्षकारों की आकांक्षाओं के अनुरूप उपचार प्राप्त नहीं हो सकता। परिवार परामर्श के दायरे में वह उपचार शामिल नहीं है जो कि सामान्य तौर पर मुकदमेबाजी के द्वारा प्राप्त होता है। परस्पर बातचीत के आधार पर जो सुलह समझौता हो जाता है, उससे स्थाई तौर पर उभय पक्षकारों को संतुष्टि तथा उपचार प्राप्त होता है। ऐसे उपचार को उभय पक्षकार स्वेच्छा से एवं सहर्ष स्वीकार करते है। यदि यही उपचार मुकदमेबाजी के पश्चात् न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाये तो संभवतः एक पक्षकार को यह स्थिति स्वीकार होगी तो दूसरा पक्षकार उससे संतुष्ट नहीं होगा और उच्चतर अदालत की तरफ अपना रूख मोड़ देगा। परिणामतः मुकदमेबाजी का अन्त नहीं होगा जबकि सुलह समझौते के आधार पर जब वाद का निराकरण हो जाता है तो उससे प्राप्त उपचार उभय पक्षकारों को स्वीकार्य और उन पर बाध्य हो जाता है और वहीं मुकदमेबाजी सदैव के लिए समाप्त हो जाती है।

3. संक्षिप्त नाम :

इस योजना का नाम पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना 2001 है।

परिभाषा

परिवारवाद : परिवारवाद की परिभाषा के अंतर्गत परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद यथा पारिवारिक सम्पत्ति, शादी विवाह, भरण–पोषण, बच्चों की अभिरक्षा आदि शामिल है।

4. पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र की स्थापना :

प्रत्येक जिला स्तर पर एक जिला पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र तथा प्रत्येक तहसील स्तर पर जहां व्यवहार न्यायालय स्थित है तहसील पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

5. (अ) निम्नलिखित व्यक्तियों को पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, 2001 के अंतर्गत सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है :

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति,
2. अध्यक्ष/सचिव अधिवक्ता संघ,
3. अतिरिक्त कलेक्टर,
4. एक प्रतिष्ठित पुरूष समाजसेवी,
5. एक प्रतिष्ठित महिला समाजसेवी,
6. चिकित्सक/मनोचिकित्सक,
7. जिला विधिक सहायता अधिकारी — पदेन सचिव

सदस्यगण को वास्तविक रूप से उपगत किये गये आकस्मिक व्यय के अतिरिक्त 100=00 रूपये (एक सौ रूपये) प्रति बैठक की दर से भुगतान किया जायेगा।

सुलहकर्तादल :–

5. (ब) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त नामांकित सदस्यों में से आपसी समझौता कराने हेतु 3 व अधिक से अधिक 5 सदस्यों को नामांकित किया जावेगा जो बैठक में आपसी समझौता कराने का प्रयास करेंगे।

(स) उक्त नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा या अध्यक्ष को उनका कार्यकाल एक या एक से अधिक अवधि को और बढ़ाने का अधिकार होगा।

(द) उक्त नामंकित सदस्यों का कार्यकाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रसाद पर्यन्त होगा।

6. विधिक सेवा एवं विवादों की सुनवाई :

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र पक्षकारों से किसी प्रकार के विवाद को निपटाने हेतु केन्द्र के सचिव/विधिक सहायता अधिकारी के माध्यम से सीधे आवेदन पत्र प्राप्त करेगा या जिले के थानों विशेषकर महिला थानों से आवेदन पत्र प्राप्त करने का प्रयास करेगा। आवेदन पत्र पंजीबद्ध किया जायेगा। तदुपरांत उभय पक्षकारों को बुलाया जाकर सौहाद्रपूर्ण वातावरण में आपसी समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा। समझौता होने पर केन्द्र द्वारा मामला सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के माध्यम से लोक अदालत में उचित आदेश हेतु प्रेषित किया जाएगा। यदि समझौता संभव नहीं हुआ तो पक्षकारों को कानूनी सहायता दिलाये जाने हेतु प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाएगा।

इसके साथ ही विधिक सेवा व मामलों के आपसी निपटारे हेतु उक्त केन्द्रों में न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने के पूर्व व न्यायालयों में लंबित मामलों में विधिक सहायता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। यह आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर उक्त केन्द्र द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर समझबूझ के आधार पर मामले का निपटारा किया जाएगा व निपटारा न होने पर आवेदन सचिव जिला प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाएगा।

7. गोपनीयता :

सुलहकर्ता दल के समस्त सदस्य पारिवारिक विवादों में समझौते की कार्यवाही को गोपनीय रखने का घोषणा पत्र देंगे। आपसी समझौते कराने की कार्यवाही को पूर्णतः गोपनीय रखेंगे व इसका किसी प्रकार प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाचार पत्रों में केवल यह समाचार प्रकाशित किया जाएगा कि पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के द्वारा आपसी समझौता के माध्यम से कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया किन्तु की गई कार्यवाही में हुई वार्ता के विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किये जाएगें।

8. पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के बैठक का स्थान :

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के लिए व्यवहार न्यायालय परिसर में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की गोपनीयता

को ध्यान में रखते हुए यथासंभव बड़े आकार का स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

9. बैठक का दिन व समय :

केन्द्र की बैठक माह में कम से कम एक बार न्यायालय के अवकाश के दिन होगी। केन्द्र की बैठक का समय 10:30 बजे सुबह से 1:30 बजे एवं 2:00 बजे से 5:00 बजे सायं तक।

10. प्रचार–प्रसार :

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केन्द्र के कार्य में व्यापक प्रचार प्रसार समस्त संचार माध्यम से किया जाएगा।

11. आवेदन – पत्र :

केन्द्र में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं विवादों को निपटारे के लिए सर्वप्रथम केन्द्र के सचिव द्वारा केन्द्र में सभी जानकारियां निर्धारित प्रारूप में भरकर बैठक के पूर्व तैयार कर ली जायेगी।

यदि पारिवारिक विवाद न्यायालय में लंबित है और पक्षकार समझौता चाहते हैं तो आवश्यक होने पर केन्द्र के सचिव को संबंधित पक्षकार आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे।

12. समझौते की प्रक्रिया :

1. सन्धिवार्ता से पूर्व :–

(क) सन्धिवार्ता किये जाने से पूर्व पक्षकारों को इस बिन्दु पर सहमत करा लिया जाना आवश्यक है तो उनके विवाद को सुलझाने के लिए संधिवार्ता एवं सुलह समझौता ही सर्वोत्तम मानक विधि है। यह कार्य या तो पक्षकारों से सीधे बातचीत करके अथवा पक्षकारों के विधिक सलाहकारों के सहयोग से उन्हीं के माध्यम से पक्षकारों को समझाकर सम्पन्न किया जा सकता है।

(ख) सन्धिवार्ता के लिए ऐसे संधिकर्ता का चुनाव आवश्यक है जिन्हें परिवार परामर्श का आधारभूत सिद्धांतों एवं तत्संबंधित विधियों की सम्यक जानकारी हो।

(ग) प्रारंभिक बैठक में पक्षकारों को समझा–बुझाकर विश्वास में लेने की पूर्ण योग्यता संधिकर्ता के पास होनी चाहिए।

(घ) पक्षकारों को अथवा उनके विधिक सलाहकारों को प्रारंभिक बैठक में उपस्थित होकर संधिवार्ता की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत होना अति आवश्यक है।

2. प्रारंभिक बैठक :

संधिवार्ता प्रक्रिया के प्रारंभिक स्तर पर बैठक इस दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि प्रायः प्रथम बैठक में ही संधिकर्ता को यह जानकारी हो जाती है कि संबंधित विवाद की जटिलता कितनी है और किसी सीमा तक इस विवाद में संधिवार्ता सफल हो सकती है। अतः इस बैठक को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जानी चाहिए।

1. संधिकर्ता द्वारा पक्षकारों के समक्ष संधिवार्ता की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला जाये। पक्षकारों को इस बिन्दु पर सहमत होना आवश्यक है कि समझौता ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा उनके विवादों का संतोषजनक समाधान संभव है इसके साथ ही संधिकर्ता को अपनी योग्यता एवं वाकपटुता के आधार पर पक्षकारों के दिल में अपनी सत्यनिष्ठा एवं कार्यकुशलता के प्रति पूर्ण विश्वास अर्जित कराया जाना आवश्यक है।
2. संधिकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि उभय पक्षकार अपना विवाद संबंधित संधिकर्ता के माध्यम से संधिवार्ता के आधार पर सुलझाये जाने के लिए सहमत हैं। यह सहमति दस्तावेज के रूप में होनी चाहिए, चाहे वह करारनामे के रूप में हो और चाहे उभय पक्षकार की ओर से प्रस्तुत संयुक्त प्रार्थना पत्र के रूप में हो और दूसरा पक्षकार उस पर अनापत्ति प्रकट कर चुका हो।
3. पक्षकार स्वयं या अपने विधिक सलाहकारों के माध्यम से अपने विवाद की प्रकृति को संक्षिप्त रूप से संधिकर्ता के समक्ष रखे। उसके पश्चात् पक्षकारों का संक्षिप्त बयान संधिकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाये जिससे कि यह पहचान हो सके कि वास्तव में उनके विवाद का मुख्य–मुख्य मुद्दा क्या है। इस संबंध में पक्षकारों द्वारा किसी भी प्रकार का लिखित दस्तावेज विशेषज्ञ आख्या या अन्य कोई उचित प्रपत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
4. संधिकर्ता पक्षकारों के समक्ष उनके बयानों तथा प्रपत्रों पर विचार विमर्श करें और उसके पश्चात् पक्षकारों की सहमति से यह निश्चित किया जाये कि कौन पक्षकार सर्वप्रथम अपने पक्ष को रखेगा तदनुसार संबंधित पक्षकार को सर्वप्रथम अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया जाए।
5. पक्षकारों को सामान्यतः स्वयं संधिवार्ता के लिए उपस्थित होना चाहिए परन्तु वाद की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकारों के

माता–पिता उनके संबंधियों, मित्र, रक्त संबंधी अथवा उनके विधिक सलाहकारों को भी उनका प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जा सकती है। संधिवार्ता की तिथि तथा उसके स्थान को इस प्रकार से चुने जो कि उभय पक्षकारों के लिए उपयुक्त हो और किसी पक्षकार को जहां तक संभव हो सके असुविधा न हो।

13. निपटारे के बाद की कार्यवाही :

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र में जब पक्षकारों के बीच समझौता हो जायेगा तब समझौता दल द्वारा इस समझौते को लिपिबद्ध किया जाएगा तथा संक्षेप में समझौते का लेख तैयार किया जाएगा जिसमें दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे। उसके नीचे प्रमाणीकरण के लिए सुलहकर्ता दल के हस्ताक्षर होंगे उस समझौते के लेख को केन्द्र में रख लिया जावेगा और उसकी प्रतिलिपि दोनों पक्षकारों को दे दी जायेगी। तथा पक्षकारों की सहमति से जिला प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत में उक्त तैयार समझौते को प्रीटिलीगेसन प्रकरण मानकर निपटारा कराया जायेगा।

यदि प्रकरण न्यायालय में चल रहा है और उसमें केन्द्र के माध्यम से समझौता हो गया है तो सुलह करवाने वाले दल द्वारा समझौते की शर्तें लिखकर उस पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे। उसके नीचे सुलह कर्ता दल का प्रमाणीकरण होगा। तदुपरांत उसकी एक प्रति पक्षकारों को देकर दिनांक पेशी में संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु सलाह दी जाएगी।

14. पुनरावलोकन :

केन्द्र द्वारा विवादों के पक्षकारों के निपटाये गये विवादों की वाद की कार्यवाही के बारे में 15 दिन के भीतर ही सर्वेक्षण कर ब्यौरा तैयार किया जावेगा कि क्या समझौते द्वारा निपटाये गये विवाद का सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में चल रहे हों और जिनमें आपसी समझौता केन्द्र में हो गया है, उनको न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरांत अंतिम निर्णय व आदेश हो गया है या नहीं इस हेतु केन्द्र द्वारा प्रयास किया जाएगा। केन्द्र के सचिव द्वारा बाद में सभी ब्यौरा तैयार कर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाएगी। जिला प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रगति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर मुख्यालय को प्रेषित की जावेगी।

15. व्यय :

परिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना के क्रियान्वयन के संबंध में होने वाला व्यय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवा हेतु आवंटित राशि का अंश होगा।

16. संरक्षण :

परिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के सदस्यों द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के विरूद्ध कोई भी दीवानी या आपराधिक अथवा अन्य कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

17. अभिलेख का संधारण :

जिला विधिक सहायता अधिकारी पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना की कार्यवाही संबंधी रजिस्टर संधारित कर, समस्त कार्यवाहियों का अभिलेख पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के कार्यालय में सुरक्षित रखेगा।

18. कठिनाई एवं निवारण :

इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आने वाली कठिनाईयों के निवारण के पूर्ण अधिकार कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को होंगे। और उनका आदेश/निर्णय अन्तिम होगा।

घोषणा–पत्र

परिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के नामांकित सदस्यों द्वारा निष्पादित किये जाने वाला घोषणा–पत्र।

मैं ______________________ आत्मज ______________________ उम्र .... निवासी ______________________ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के नामांकित सदस्य की हैसियत से कार्य करते समय समझौते की कार्यवाही के दौरान मुझे संबंधित पक्षकारों के विषय में जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसे मैं पूर्णतः गोपनीय रखूंगा तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सत्यता एवं निष्पक्षता से करूंगा।

एतर्थ ईश्वर मेरा सहायक हो।

स्थान : हस्ताक्षर ______________

दिनांक : नाम ______________

5

जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना

जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा (ग) के साथ पठित नियम 4 के खंड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यपालक अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के द्वितीय सम्मेलन 9 अक्टूबर, 1999 में पारित प्रस्ताव क्रमांक 7 के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एतद् द्वारा प्रत्येक जिले में जिला विधिक परामर्श केन्द्र नामक योजना विरचित करता है।

योजना

संक्षिप्त नाम :

इस केन्द्र का नाम जिला विधिक परामर्श केन्द्र होगा।

पृष्ठभूमि :

भारत न केवल संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोक गणतंत्रात्मक गणराज्य है अपितु एक लोक–कल्याणकारी राज्य भी है। लोक–कल्याणकारी राज्य के नाते उसका प्रथम कर्तव्य देश की जनता के हितों की रक्षा करना और उनके लिए कल्याणकारी योजनायें तैयार करना है। उसका लक्ष्य "बहुजन हिताय" "बहुजन सुखाय" है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य यथा समय जनसाधारण की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करने का प्रयास करेगा। किसी भी पीड़ा अथवा व्यथा से सताया हुआ व्यक्ति बड़ी आशायें लेकर न्यायालय में आता है लेकिन वांछित सलाह/सहायता के अभाव में किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाता है। अतः संविधान में यह व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार समाज के कमजोर वर्गों का कोई भी व्यक्ति अर्थाभाव एवं किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय से वंचित न रह जाये जिसके लिए संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 39–क समानता के आधार पर न्याय एवं कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का दायित्व शासन पर डाला गया है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा के अंतर्गत निशक्त लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ उद्देश्य हितार्थ विधिक परामर्श केन्द्र योजना विरचित करता है। संविधान या विधि द्वारा अधिकार प्रदत्त होना ही पर्याप्त नहीं है। वरन् सभी को उनके अधिकारों से अवगत कराकर उनको मार्गदर्शन के साथ समस्याओं के निराकरण हेतु विधिक परामर्श देना है। नैतिकता और अध्यात्म से ओत–प्रोत भारत की जनता आज भी अधिकांश अपराध अथवा अपकृत्य मात्र विधि की अज्ञानता, अनभिज्ञता के कारण करती है साथ ही साथ समानता व नैतिक न्याय के आधार पर विधि का संरक्षण भी आवश्यक है। अतः लोगों को विधि का ज्ञान कराने, विधि का मार्ग प्रशस्त करने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु विधिक परामर्श देने के लिए प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला विधिक परामर्श केन्द्र स्थापित करना आवश्यक हो गया है।

जिला विधिक परामर्श केन्द्र :

"विधिक परामर्श केन्द्र" से अभिप्रेत ऐसे केन्द्र से हैं जिसमें लोगों को उनकी समस्याओं एवं प्रकरणों के संबंध में कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जावे।

न्यायालय :

"न्यायालय" से कोई सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत न्यायिक या न्यायिकेत्तर कृत्यों का प्रयोग करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कोई अधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण :

जिला प्राधिकरण से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है।

उद्‌देश्य :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39–(क) के मंशा के अनुरूप अर्थाभाव के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित न रह सके, उसे सक्षम विधिक सहायता प्रदान करने का दायित्व राज्य शासन पर डाला गया है जिसके अनुपालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला एवं तहसील न्यायालय स्तर पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। अधिकांश ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिन्हें न तो नियम व कानून का ज्ञान होता है और न ही उसका निदान ही ढूंढ़ पाते और न ही यह जान पाते कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कहां जाना चाहिए वे किंकर्त्तव्यविमूढ़ रहते हैं। समाज के ऐसे वर्ग के लोगों को उन्हें, उनके प्रकरणों के निदान करने हेतु विधिक परामर्श दिया जाना संवैधानिक दायित्व में आता है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्‌देश्य उक्त दायित्व की पूर्ति हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में विधिक परामर्श केन्द्र स्थापित कर लोगों को लाभान्वित कराया जाना है।

जिला विधिक परामर्श केन्द्र की स्थापना :

प्रत्येक जिला स्तर पर एक जिला विधिक परामर्श केन्द्र स्थापित होगा, जो जिला विधिक सहायता अधिकारी का प्रमुख कार्यालय रहेगा।

जिला विधिक परामर्श केन्द्र का गठन :

जिला विधिक परामर्श केन्द्र के सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। विधिक परामर्श केन्द्र में

निम्नानुसार सदस्य होंगे :–

1.	अध्यक्ष / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	पदेन अध्यक्ष
2.	म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य (यदि उस जिले में हो)	पदेन सदस्य
3.	अध्यक्ष / सचिव जिला अभिभाषक संघ	पदेन सदस्य
4.	अवकाश प्राप्त न्यायिक अधिकारी (यदि हो तो)	नामांकित सदस्य
5.	समाजसेवी प्रतिष्ठित महिला / पुरूष	नामांकित सदस्य
6.	जिला विधिक सहायता अधिकारी	पदेन सचिव
7.		

परामर्श की प्रक्रिया :

केन्द्र का सचिव / जिला विधिक सहायता अधिकारी, आवेदक / पक्षकार के आवेदन प्राप्त करेगा, उक्त आवेदन पत्र को रजिस्टर में पंजीबद्ध किया जावेगा। प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में आवश्यक विधिक परामर्श देगा तथा यदि कोई पेचीदा मामला है तो ऐसी स्थिति में इस केन्द्र के सदस्यों या अध्यक्ष / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से सही रास्ता सुझायेगा। यदि पक्षकार सहमत है तो ऐसी स्थिति में उनके प्रकरण आपसी समझौते द्वारा निराकरण हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रिलिटीगेशन स्टेज पर रखेगा। जिसका निराकरण आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जा सकेगा। यदि आवेदक / पक्षकार का प्रकरण विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु युक्तियुक्त है तो उसे विधिक सहायता प्रदान करने संबंधी कार्यवाही करने हेतु सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष रखेगा।

विधिक परामर्श केन्द्र का समय :

यह केन्द्र अवकाश के दिनों को छोड़कर शेष सभी कार्यालयीन दिवसों में रहेगा। केन्द्र का समय 11:00 बजे सुबह से 1:30 बजे एवं 2:00 बजे से 5:30 बजे सायं तक रहेगा।

प्रचार प्रसार :

केन्द्र के सदस्यों के सहयोग एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा केन्द्र के कार्य के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार समस्त, उपलब्ध संचार माध्यमों से किया जायेगा।

संरक्षण :

जिला विधिक परामर्श केन्द्र के सदस्यों द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के विरूद्ध कोई भी दीवानी या आपराधिक अथवा अन्य कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

व्यय :

जिला विधिक परामर्श केन्द्र के द्वारा की गई कार्यवाही में उपगत होने वाले व्यय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरण को विधिक सहायता हेतु आवंटित राशि का अंश होगा।

बैठक :

जिला विधिक परामर्श केन्द्र की बैठक कम से कम 3 माह में एक बार होगी, जिसमें योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति संबंधी निर्णय लिया जाकर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से मार्गदर्शन लिया जा सकेगा।

अभिलख का संधारण :

जिला विधिक सहायता अधिकारी विधिक परामर्श केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी रजिस्टर संधारित कर समस्त कार्यवाही का अभिलेख जिला विधिक परामर्श केन्द्र में सुरक्षित रखेगा।

नियंत्रण :

जिला विधिक परामर्श केन्द्र, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण में जिला प्राधिकरण के अध्याधीन रहते हुए जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के देखरेख में कार्य करेगा।

गोपनीयता :

जिला विधिक सहायता अधिकारी ऐसी परिस्थिति में जहां एक ही विवाद से संबंधित पक्षकार अपना–अपना आवेदन देते हैं उनके तथ्यों को गोपनीय रखेगा और पक्षकारों को दिये जाने वाले विधिक परामर्श को गोपनीय रखेगा। किसी भी हाल में वह एक पक्षकार के प्रकरण के तथ्य एवं उसमें दिए गए विधिक परामर्श के संबंध में दूसरे पक्षकार को नहीं बतायेगा तथा गोपनीय रखेगा।

प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण :

जिला विधिक सहायता अधिकारी, विधिक परामर्श केन्द्र में हुए लाभान्वित व्यक्तियों का प्रगति प्रतिवेदन हर माह के प्रथम सप्ताह में जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगा।

कठिनाईयां एवं निवारण :

इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में तथा आने वाली कठिनाईयों के निवारण के पूर्ण अधिकार कार्यपालन अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को होंगे और इनका आदेश/निर्णय अंतिम होगा।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या सम्पर्क करें :–

1. उच्च न्यायालय स्तर पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय परिसर जबलपुर में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष, सचिव अथवा विधिक सहायता अधिकारी से।
2. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर एवं इन्दौर परिर में कार्यरत् उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप समिति के सचिव अथवा विधिक सहायता अधिकारी से सम्पर्क करें।
3. जिला स्तर पर सभी जिलों के दीवानी न्यायालय परिसर में कार्यरत् जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष (जिला जज) सचिव अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से।

4. तहसील स्तर पर सभी तहसीलों में दीवानी न्यायालय परिसर में कार्यरत् तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष (न्यायाधीश) से।
5. कठिनाई के लिए सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574 साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर से सम्पर्क करें।

6

मजिस्टेट न्यायालयों में "विधिक सहायता अधिवक्ता योजना"

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में "विधिक सहायता अधिवक्ता योजना"

प्रस्तावना :

अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रेषित फा. नं. 6 (2)/98–नालसा/1277 दिनांक 10 जून, 1998 के परिपालन में माननीय मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 5.11.2001 को सम्पन्न मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में संकल्प पारित कर अभिरक्षा में रह रहे बंदियों को सम्मानजनक जीवन जीने उनके मौलिक, वैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने एवं अभिरक्षा प्रदान करने के लिए रिमाण्ड, जमानत तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय में पैरवी करने व अपील/पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने हेतु विधिक सहायता अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाकर अभिरक्षा में रह रहे व्यक्तियों के वैधानिक अधिकार सुरक्षित होने के साथ ही उन्हें समानता के आधार पर न्याय दिलाए जाने हेतु मजिस्ट्रेट न्यायालयों में "विधिक सहायता अधिवक्ता योजना" विरचित की गई है।

उद्देश्य :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) की मंशा के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 (छ) के अंतर्गत जो व्यक्ति अभिरक्षा में है जिसके अंतर्गत किशोर गृह अथवा मनोचिकित्सीय अस्पताल मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में निरूद्ध है या परवीक्षाधीन बंदी है वह अपने प्रकरण प्रस्तुत करने व बचाव हेतु विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु अपनी असमर्थता या अन्य निर्योग्यता के कारण अपने बचाव हेतु अभिभाषक नियुक्त करने में असमर्थ रहते हैं और लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं ऐसे व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन जीने, उनके मौलिक, वैधानिक एवं न्यायिक अभिरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे बंदियों को जो जेल में हैं उन्हें रिमांड

हेतु प्रस्तुत आवेदन के विरोध करने, जमानत हेतु आवेदन करने मजिस्ट्रेट न्यायालय में पैरवी करने तथा अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने हेतु "विधिक सहायता अधिवक्ता" नियुक्त किया जाकर उन्हें विधिक सेवा उपलब्ध कराया जाना है।

संक्षिप्त नाम :

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में "विधिक सहायता अधिवक्ता योजना"

परिभाषा :

अभिरक्षा :

अभिरक्षा से तात्पर्य पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा से है।

विधिक सहायता अधिवक्ता :

से तात्पर्य इस स्कीम के अन्तर्गत मजिस्ट्रियल कोर्ट हेतु नियुक्त अधिवक्ता से है।

स्कीम :

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत बने उपबंध को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु तैयार की गई स्कीम।

राज्य प्राधिकरण :

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 के अधीन गठित म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण :

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से तात्पर्य मध्यप्रदेश में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

मजिस्ट्रेट न्यायालय :

कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और उसके अंतर्गत न्यायिक या न्यायिकेत्तर कृत्यों के प्रयोग करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय से है।

विशेष न्यायालय :

से तात्पर्य उन न्यायालयों से है जो विशेष अधिनियम के अंतर्गत गठित है।

विधिक सहायता अधिवक्ता सूची तैयार करना :

प्रत्येक जिले के जिला न्यायाधीश द्वारा विधिक सहायता अधिवक्ता की सूची तैयार की जावेगी। सूची में रखे जाने वाले विधिक सहायता अधिवक्ताओं की संख्या का निर्धारण जिला मुख्यालय व उसके बाहर की न्यायालयों (तहसील) न्यायालयों के कार्य के बोझ को देखकर किया जायेगा। सूची में ऐसे अधिवक्ता को रखा जावेगा जिसे मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष के वकालत का अनुभव हो तथा विशेष न्यायालय के लिए 7 वर्ष वकालत करने का अनुभव प्राप्त हो। पेनल अधिवक्ता रिमाण्ड के प्रकरण से लेकर परीक्षण के पूर्व तक न्यायालय में पैरवी कर सकेगा।

विधिक सहायता अधिवक्ता को प्रकरण सौंपना :

विधिक सहायता अधिवक्ता को क्रमबद्ध तरीके से रिमाण्ड के प्रकरण सौंपे जावेंगे। ऐसे अधिवक्ता जिन्हें प्रकरण क्रमानुसार सौंपे गये हैं और इस संबंध में उसकी सहमति हो और वह उपलब्ध न रहे तो दूसरे अधिवक्ता को क्रमानुसार प्रकरण सौंपा जावेगा।

विधिक सहायता अधिवक्ताओं के कृत्य एवं दायित्व :

विधिक सहायता अधिवक्ता जिन्हें प्रकरण सौंपा गया है के निम्नानुसार कृत्य एवं दायित्व होंगे :–

1. अभिरक्षा के व्यक्ति के रिमाण्ड अवधि में नियुक्त (अटेच) विधिक सहायता अधिवक्ता को उस न्यायालय में उपस्थित रहना होगा, इसके लिए अन्य समयों में भी उपस्थित रहना होगा जैसे कि न्यायालय द्वारा उसे निर्देशित किया जावे।
2. जब कोई व्यक्ति अभिरक्षा में है और न्यायालय में उसके रिमाण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत होता है तो उसका विरोध करने व उसके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने पर विधिक सहायता अधिवक्ता आरोपी का बचाव भी करेगा। इसके अलावा परीक्षण न्यायालय के साथ–साथ अपील/पुनरीक्षण हेतु भी पैरवी कर सकेगा।
3. विधिक सहायता अधिवक्ता व्यक्ति के अभिरक्षा में प्रकरण के तफ्तीस के दौरान उसे जमानत पर छूटने तथा न्यायालय में मुल्जिम के विरूद्ध रिमाण्ड लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का विरोध करने हेतु कार्यवाही की जावेगी।
4. विधिक सहायता अधिवक्ता जिसे प्रकरण सौंपा गया है अपने कार्य पूर्ण करने के उपरांत इसकी सूचना संबंधित न्यायालय को देगा।

अभिरक्षाधीन व्यक्तियों को निम्नानुसार तीन स्तरों में विधिक सहायता प्रदान की जावेगी :

1. अभिरक्षा में प्रकरण के तफ्तीस के दौरान जमानत पर छूटने और प्रस्तुत रिमाण्ड का विरोध करने हेतु, प्रस्तुत आवेदन का विरोध करने हेतु विधिक सहायता।
2. प्रकरण के परीक्षण के दौरान बचाव हेतु।
3. प्रकरण में विपरीत निर्णय होने पर न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने हेतु।

न्यायालय द्वारा प्रमाण–पत्र :

प्रकरण में नियुक्त विधिक सहायता अधिवक्ता रिमाण्ड अवधि या अन्य अवधियों में जैसा कि उसे संबंधित न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया हो, परीक्षण न्यायालय में पैरवी करने के अलावा अपील/पुनरीक्षण के अवधि मेंउसकी उपस्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र दिया जावेगा। इस हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा और विहित प्रारूप में प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा। जिसके आधार पर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जावेगा।

विधिक सहायता अधिवक्ता को देय मानदेय :

विधिक सहायता अधिवक्ता को रिमाण्ड के प्रकरण में रूपये 100/– प्रति सुनवाई के मान से मानदेय देय होगा किन्तु यह राशि अधिकतम

रूपये 1500/– प्रतिमाह (बिना इसके कि कितने रिमाण्ड के प्रकरण किए हैं) होगी। यह मानदेय संबंधित न्यायालय द्वारा प्रमाणित करने पर ही देय होगा। विधिक सहायता अधिवक्ता को मानदेय संबंधित न्यायालय द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत ही देय होगा।

विधिक सहायता अधिवक्ता का कार्यकाल :

विधिक सहायता अधिवक्ता सूची का कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। इसके बाद दूसरी विधिक सहायता अधिवक्ता सूची तैयार की जावेगी जिसमें पूर्व की सूची के अधिवक्ताओं के कार्यों का सत्यापन कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सिफारिश पर किए जाने पर सम्मिलित किए जा सकेंगे।

अपील/पुनरीक्षण : कोई भी व्यक्ति पक्षकार न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण राज्य प्राधिकरण के निधि से तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकता जब तक विधिक सहायता अधिवक्ता द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने अपील/पुनरीक्षण योग्य अभिप्रमाणित न कर दिया जावे। ऐसी अपील/पुनरीक्षण अधिवक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत होगी। इसी प्रकार उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों के अंतर्गत आवेदन धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकेगा।

विधिक सहायता अधिवक्ता को सूची से पृथक किया जाना :

जिला न्यायाधीश विधिक सहायता अधिवक्ता के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उस अधिवक्ता को सौंपे गए प्रकरण वापस लेकर उसका नाम संबंधित सूची से पृथक कर देगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निधियां :

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक निधि बनाया रखा जावेगा जिसे जिला विधिक सहायता निधि कहा जावेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जावेंगे :–

1. ऐसी रकम या आवंटन जैसा कि उसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस योजना के प्रयोजन हेतु आवंटित या स्वीकृत किया जाए।

2. ऐसी रकम या आवंटन जैसा कि इस योजना के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संदत्त सभी धनराशि या दिये गये अनुदान।
3. जिला विधिक सहायता निधि में जमा की गई यह रकम राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश की जावेगी।

व्यय अनुसूची तैयार करना एवं भुगतान :

जिला न्यायाधीश द्वारा विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों के लिए आकस्मिक व्ययों के लिए अनुसूची तैयार की जावेगी, और इस आकस्मिक निधि में से उपगत होने वाले व्ययों का भुगतान किया जावेगा।

लेखाओं का रखा जाना :

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना में उपगत होने वाले व्यय पर सम्पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करेगा। वह प्रत्येक तीन माह में सही एवं उचित लेखे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रगति से अवगत कराना :

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला मुख्यालय व जिलान्तर्गत तहसील स्थित न्यायालयों के प्रगति विवरण एवं व्यय संबंधी जानकारी विहित प्रारूप में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रत्येक माह नियमित रूप से भेजी जावेगी।

कठिनाईयों का निवारण :

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में "विधिक सहायता अधिवक्ता" योजना को क्रियान्वित करने की कार्यवाहियों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं कठिनाईयों के निवारण का अधिकार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय को होगा।

नियुक्ति पत्र
प्रारूप

समक्ष न्यायालय ____________ मजिस्ट्रेट ______________ स्थान ______________

श्री / श्रीमती / कुमारी ______________________________

आत्मज / पत्नी / आत्मजा ________________________ आपराधिक प्रकरण क्रमांक .... के संबंध में अभिरक्षा में है .... और विविध याचिका कोई हो उसकी विविध याचिका क्रमांक .... इस न्यायालय के अपराध क्रमांक .... इस न्यायालय में लंबित है। इस बन्दी ने पुरूष / स्त्री अपने बचाव हेतु अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थता व्यक्त की है। अतः इस न्यायालय से संबद्ध श्री / श्रीमती / कुमारी .... विधिक सहायता अधिवक्ता को नियुक्त कर उक्त बंदी का प्रकरण आवश्यक विधिक मदद एवं बचाव के लिए जैसा कि इस प्रकरण में वांछनीय है, सौंपा जाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील विधिक सेवा समिति ....प्रकरण क्रमांक .... को उक्त अधिवक्ता को आवंटित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही जारी करती है।

हस्ता. – मजिस्ट्रेट

दिनांक ....

सील ....

उपस्थिति–प्रमाणपत्र
प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ______________________ इस न्यायालय से संबद्ध विधिक सहायता अधिवक्ता रिमाण्ड अवधि के दौरान .... माह .... के कार्य दिवसों के दौरान उपस्थित थे।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक ....

सील ....

प्रगति पत्रक
प्रारूप

1. विधिक सहायता अधिवक्ता का नाम ____________________
2. न्यायालय पुरूष / स्त्री अधिवक्ता संबद्ध है ____________________

सौंपे गये प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों के प्रकार	सहायता प्राप्त व्यक्ति का नाम	लिंग एवं जाति	प्रकरणों के परिणाम	अग्रिम कार्यवाही जो की जानी ह	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

हस्ता. जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

दिनांक ....

सील ....

भुगतान संबंधी प्रारूप

1. विधिक सहायता अधिवक्ता का नाम ______________________

2. न्यायालय जहां वह संबद्ध है ______________________

रिमाण्ड के समय भुगतान की गई राशि	प्रकरण क्रमांक अपील/यदि बचाव अथवा अपील आदि हेतु सौंपा गया है	खर्च हेतु भुगतान की गई रकम भुगतान की तिथि	फीस भुगतान की राशि भुगतान की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5

हस्ता. जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष

जिला विधिक

सेवा प्राधिकरण

दिनांक ....

सीलः ....

7
पैरा लीगल क्लीनिक

पैरा लीगल क्लीनिक

पैरा लीगल क्लीनिक से अभिप्राय पीड़ित एवं व्यथित व्यक्तियों को अविलम्ब कानूनी सहायता उपलब्ध कराने वाले स्थान से है।

भारत जैसे देश में जहां कि अधिकांश जनता अशिक्षित एवं निरक्षर है व्यक्तियों से विधियों के ज्ञान की अपेक्षा करना निरर्थक एवं बेमानी है। विधियों का ज्ञान तो दूर उन्हें साधारण बातों का भी ज्ञान नहीं होता, अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए पैरा लीगल क्लीनिक अत्यंत उपयोगी हो जाती है।

जिस प्रकार एक डाक्टर क्लीनिक पर मरीज का इलाज करता है, उसी प्रकार इन पैरा लीगल क्लीनिकों पर शोषित एवं व्यथित व्यक्तियों का प्राथमिक विधिक उपचार (सहायता) सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा किया जाता है। इन पैरा लीगल क्लीनिकों पर कानूनी राय एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए हर समय विधि विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध रहती है।

पैरा–लीगल क्लीनिक एक ऐसा केन्द्र है जहां समाज के कमजोर वर्ग को प्रशिक्षित विधि व्यवसायियों द्वारा निःशुल्क अथवा नाम मात्र के शुल्क पर विधिक सलाह दी जाती है।

पैरा–लीगल क्लीनिक के माध्यम से विधि के छात्र–निकटवर्ती ग्रामीण एवं शहरी लोगों को रोजमर्रा काम आनेवाली विधियों की जानकारी दे सकते है। व्यक्तियों को उनके अधिकार एवं दायित्वों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उन्हें विधिक उपचार भी बताये जा सकते हैं। विधिक सहायता हेतु प्रदर्शनी का आयोजन करना, विधिक परामर्श की सुविधा प्रदान करना उन्हें आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना आदि कार्य भी पैरा लीगल क्लीनिक द्वारा सम्पन्न किये जा सकते हैं।

विधि प्राध्यापक अनेक क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान रखते हैं। उनके ज्ञान को सह विधिक सेवायें (Para Legal Service) में काम में लिया जा सकता है तथा विधि के छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण (Parctical Training) के भाग के रूप में प्रोग्राम में सम्मिलित कर संगठन की जनशक्ति में वृद्धि की जा सकती है। यदि विधि महाविद्यालयों को विधिक

सहायता के कार्यों में साथ रखा जाता है तो इससे गरीब जनता को भरपूर फायदा दिया जा सकता है। सहविधिक सेवायें की विधि शिक्षा का अंग बनाने से समाज के प्रति कटिबद्ध प्राध्यापक, अधिवक्ता एवं विद्यार्थियों पैरा लीगल क्लीनिक के क्षेत्र में अपनी नयी भूमिका का निर्वाह कर पायेंगे।

इस क्लीनिक का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों, कर्तव्यों तथा दायित्वों का ज्ञान कराना है। साथ ही इनके हनन, अतिक्रमण तथा उल्लंघन होने पर इसके संरक्षण तथा प्रवर्तन हेतु विधि व्यवस्था के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति विधि की अनभिज्ञता का बहाना बनाकर अपने सिविल या आपराधिक दायित्व से बच नहीं सकता, विधि यह मानती है कि देश की विधि का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए क्योंकि "न्याय व्यवस्था में विधि की भूल क्षम्य नहीं है।"

पैरा लीगल क्लीनिक के अंतर्गत जनसाधारण में विधिक चेतना जागृत करने के लिए लघु पुस्तिकाओं का प्रकाशन तथा दूरदर्शन जैसे प्रचार माध्यम का भी प्रयोग भी अपेक्षित है। पुस्तिकायें सरकार द्वारा मुफ्त में लोगों में वितरित की जायें जिससे व्यक्ति आसानी से मुख्य कानूनों का ज्ञान प्राप्त कर सके।

आज आवश्यकता यह संकल्प लेने की है कि अधिवक्ता विधि के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं न्यायाधीश विधिक सहायता के कार्यक्रम को व्यवसाय के रूप में नहीं लेकर समाज के कमजोर वर्ग की आंखों के आंसू पोछने के प्रयोजनार्थ एक मिशन के रूप में लें।

यह लीगल एड क्लीनिक सर्वप्रथम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर एवं उसकी खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर तथा म.प्र. समस्त जिला न्यायालयों में स्थापित की गई थी। जहां विधिक सहायता कार्यालय में प्रतिदिन कार्य दिवस पर योग्य अभिभाषक बैठकर लोगों की समस्याओं के संबंध में निःशुल्क सहायता/सलाह देते है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विद्यालय/ महाविद्यालय व ग्राम स्तर तक क्लीनिक स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

8
विवाद विहीन ग्राम योजना

विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 7 की उपधारा 2 के खण्ड (क) तथा (ग) सहपठित मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 4 (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एतद् द्वारा निम्नलिखित "विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000" विचरित करता है।

योजना

1. **संक्षिप्त नाम** : इस योजना का नाम "विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000" है।

2. **परिभाषा**

(1) विवाद विहीन ग्राम :– विवाद विहीन ग्राम से अभिप्रेत ऐसे ग्राम से हैं जिसमें उस ग्राम में निवास कर रहे समस्त व्यक्तियों में कोई विवाद न हो और यदि हो तो विवाद को आपसी सूझ–बूझ सुझाव–बुझाव व समझौते द्वारा न्यायालय में जाने के पूर्व ही निपटा लिया गया हो और यदि न्यायालय में पहुंच गया हो और विचाराधीन हो तो लोक अदालत के माध्यम से या न्यायालय के माध्यम से जल्द निपटा लिया जाये और ऐसे लोगों का कोई विवाद न रहे।

(2) विधिक स्वयं सेवी सेवादल :– विधिक स्वयं सेवी दल से अभिप्रेत चयनित ग्राम के लिए तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा गठित ग्राम स्तरीय विधिक स्वयं सेवी दल से है, जिसमें ऐसे प्रतिष्ठित कार्यकर्ता,

उत्साही व प्रभावशाली व्यक्ति हो स्वेच्छापूर्वक ग्राम के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तथा आर्थिक या अन्य निर्योग्यता धारक व्यक्तियों के विवादों या अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए अपना योगदान के लिए सहमत व तत्पर हों और इस प्रक्रिया में तथा विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में समुचित सहयोग दें।

3. **उद्देश्य**

(1) प्रत्येक तहसील के अंतर्गत चयनित ग्राम में निवास कर रहे व्यक्तियों के विवादों को ग्राम को विवाद विहीन बनाने के लिए आपसी सूझ–बूझ सुझाव–बुझाव व समझौता द्वारा निपटाना व उनकी विधिक समस्याओं का निराकरण कराना और विधिक सहायता प्रदान कराना तथा ऐसे ग्रामों के द्वारा अन्य ग्रामों को विवाद रहित ग्राम बनाने के लिए साक्षरता शिविर द्वारा प्रेरित करना।

(2) समय–समय पर लोगों को साक्षरता शिविरों के माध्यम से उत्साहित व प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित करना और उसमें वहां की ग्राम पंचायत व वहां के स्थानीय शिक्षकों, विधायकों और सांसद (यदि हों) आदि को भी सम्बद्ध करना।

(3) ग्रामवासियों को उनके दिन प्रतिदिन के कार्य में आने वाली विधिक प्रक्रिया की जानकारी कराना व विधिक सेवा व विधिक सहायता संबंधी प्रकाशन का समुचित प्रचार–प्रसार कराना और लोगों को अच्छे नागरिक बनने के लिए उनके मूल अधिकारों व मूल कर्तव्यों की जानकारी देकर प्रेरित करना।

(4) शासन द्वारा ग्रामवासियों के लिए लागू की गई जनकल्याणकारी विवादों को निपटाने की योजनाओं का भी शासन की क्रियान्वित योजनाओं से जुड़कर जानकारी दिलाना व उनसे उन्हें लाभान्वित कराने में योग सहयोग देना।

(5) ग्राम विधिक साक्षरता अभियान में योगदान देना।

4. विधिक स्वयंसेवी सेवादल का गठन :

(1) अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति चयनित ग्राम के विधिक स्वयं सेवी सेवादल का गठन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से करेंगे, व इसकी सूची राज्य प्राधिकरण को भेजेंगे।

(2) विधिक स्वयंसेवी सेवादल में साक्षरता कार्यक्रम का स्वयंसेवी कार्यकर्ता गुरूजी, सरपंच, पंच, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वन रक्षक, ग्राम स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी, संबंधित ग्राम के थानेदार, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, सचिव पंचायत, ग्राम सरकार के प्रतिनिधि व जिला विधिक सहायता अधिकारी सदस्य होंगे और इसके अतिरिक्त चयनित ग्राम के दो प्रभावशाली, प्रतिष्ठित व शिक्षित स्वयंसेवी सम्मिलित होंगे जो स्वेच्छा व निष्ठा से योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने हेतु तत्पर हों।

(3) विधिक स्वयंसेवी सेवादल के स्वयंसेवी सदस्य तथा स्वयंसेवी कार्यकर्ता स्वेच्छा व सेवाभावना से बिना किसी पारिश्रमिक की इच्छा के सेवाभाव से कार्य करेंगे।

5. ग्राम का चयन :

(1) तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष (वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी) संबंधित जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के सहयोग से "विवाद विहीन ग्राम" घोषित करने के लिए किसी ऐसे ग्राम का चयन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्वीकृति से करेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक या अन्य निर्योग्यता धारक व्यक्ति निवास करते हों। ऐसे चयनित ग्राम की घोषणा इस योजना के आशय के लिए कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। कार्यपालक अध्यक्ष अपने भ्रमण के समय ऐसे ग्राम का चयन व घोषणा भी कर सकेंगे।

(2) ऐसे ग्राम का चयन प्रत्येक तहसील से किया जावेगा और ऐसे ग्रामों की चयन संख्या यथास्थिति पर निर्भर करेगी।

6. योजना संबंधी कार्यवाही :

(1) जिला विधिक सहायता अधिकारी चयनित ग्राम के सरपंच एवं सचिव, पटवारी संबंधित ग्राम के थाना प्रभारी के सहयोग से विवादों की सूची तैयार कर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति को प्रस्तुत करेगा।

(2) अ. अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के निर्देशन में जिला विधिक सहायता अधिकारी सूची के ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में अभी नहीं

गये हैं उन्हें सेवादल के सहयोग से आपसी सूझबूझ, सुझाव बुझाव व समझौते के माध्यम से निपटवायेगा।

ब. ऐसे विवाद जो न्यायालय में पहुंच गये हैं और विचाराधीन हैं उन्हें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं स्वयंसेवी सेवादल के सहयोग से लोक अदालत/न्यायालय के माध्यम से जल्द निपटाया जायेगा।

7. **नियंत्रण** : विधिक स्वयंसेवी सेवादल, तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष (न्यायिक अधिकारी) के नियंत्रण तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के सहयोग में कार्य करेगा।

8. **सूचना** : विधिक स्वयंसेवी सेवादल की यह संतुष्टि हो जाने पर कि चयनित ग्राम में कम से कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आर्थिक या अन्य निर्योग्यता धारक व्यक्तियों के विवाद समाप्त हो गये हैं व ग्राम विवाद विहीन हो गया है। इस आशय की सूचना तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जावेगी।

9. **घोषणा** : ग्राम के विवाद विहीन हो जाने की जानकारी प्राप्त होने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा संबंधित ग्राम को "विवाद विहीन ग्राम" घोषित किया जा सकेगा और अन्य ग्राम को इस योजना की परिधि में लाया जायेगा।

10. **कठिनाई एवं निवारण** : इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में तथा आने वाली कठिनाईयों के निवारण के पूर्ण अधिकार कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को होंगे और उनका आदेश/निर्णय अंतिम होगा।

11. **सहयोग** : योजना की सफलता व क्रियान्वयन के लिए पूर्ण नियंत्रण व देखरेख कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में निहित होगा और उन्हें जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जनपद पंचायत तथा ग्राम सरकार का पूर्ण सहयोग होगा व इस परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर संबंधित जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत व ग्राम सरकार को आवश्यक निर्देश जारी कर सकेंगे।

इस योजना के क्रियान्वयन में जिला अधिकारियों व तहसील अधिकारियों का पूर्ण योग व सहयोग अपेक्षित होगा और स्वयंसेवी संगठन जैसे रोटरी क्लब, लायन्स क्लब आदि का सहयोग वांछनीय होगा।

12. **अभिलेख** : जिला विधिक सहायता अधिकारी विवाद विहीन ग्राम बनाये जाने संबंधी रजिस्टर संधारित कर समस्त कार्यवाही का अभिलेख तहसील विधिक सेवा समिति में सुरक्षित रखेगा।

13. **व्यय** : विवाद विहीन ग्राम बनाये जाने के संबंध में होने वाले व्यय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक साक्षरता शिविर हेतु आवंटित राशि का अंश होगा।

14. **सम्मान** : राज्य प्राधिकरण "विवाद विहीन ग्राम" के सरपंच संबंधित पंचायत पदाधिकारी, विधिक स्वयंसेवी सेवादल के सदस्यों को

पुरस्कार/प्रमाण–पत्र प्रदाय कर सम्मानित करेगा। तथा ऐसे सभी विवाद विहीन ग्राम की सूची राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को भेजी जाकर उन्हें सम्मानित किया जावेगा।

9
महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई

महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई

महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान कर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता एवं देखरेख में "महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई" का गठन किया गया है। यह इकाई महिलाओं एवं बच्चों में उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक करने के साथ ही उनकी समस्याओं का निदान करने व उनकी सुरक्षा का प्रयास करती है।

10

श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ

श्रमिकों के विरूद्ध अपराध-प्रकोष्ठ

श्रम विधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन, श्रमिक कामगारों की सुरक्षा, उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलाने, महिला श्रमिकों के प्रति भेदभाव एवं उन्हें लैंगिक प्रताड़ना से रोकने तथा बच्चों को श्रमिक के रूप में कार्य कराने से रोकने के संबंध में एवं हितग्राहियों को न्याय दिलाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में "श्रमिकों के विरूद्ध अपराध–प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है। कोई भी पीड़ित श्रमिक जिसके विरूद्ध अन्याय या अत्याचार हो रहा है, उसे समान मजदूरी न दी जाकर भेदभाव किया जा रहा है, वह न्याय प्राप्त करने एवं अपने अधिकार की सुरक्षा हेतु उक्त प्रकोष्ठ में आवेदन दे सकता है।

11
पैरालीगल वालेन्टियर्स

पैरालीगल वालेन्टियर्स

भारतीय संविधान में एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई। इसका आशय राज्य के सभी क्रियाकलापों का आधार लोक कल्याण, सामाजिक न्याय और जनहित होगा। राज्य के द्वारा किये जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यों, लागू की जा रही व बनाई जा रही योजनाओं का आम जनता को अधिकतम लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब इन योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समाज की सक्रिय भागीदारी हो। परंतु भारत में अशिक्षा, गरीबी, बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी में सक्रियता, जनसहभागिता का ग्राफ नीचे कर दिया है। न्याय प्राप्ति के संदर्भ में यह परिकल्पना की गई है कि निर्धनता, आर्थिक या अन्य निर्योग्यता, अशिक्षा व अवसरों की असामानता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय के समाज अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त हो सके इसी संवैधानिक अवधारणा की पूर्ति हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अधिनियमित किया गया। न्यायपालिका के साथ–साथ अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई है कि विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में समाज के सभी वर्गों की समान रूप से भागीदारी हो।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अन्य सहकारी अभिकरणों, गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था, विश्व विद्यालयों और निर्धन वर्ग के लिए विधिक सेवा के उद्देश्य संवर्धन कार्य में लगे हुए अन्य निकायों के साथ समन्वय से समुचित रूप से कार्य करेगा और ऐसा निर्देशों से मार्गदर्शित होगा जो प्राधिकरण द्वारा दिया जाये। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशासन, पुलिस, अभिभाषकगण, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, विधि विशेषज्ञों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, उनमें गरीबी व अशिक्षा का प्रतिशत अधिक है इसीलिए राज्य की कल्याणकारी योजनाओं, कानूनों विधिक सेवा योजना एवं कार्यक्रमों, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी ग्रामीणजन तक सरल भाषा एवं उनके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में पहुंचाने के लिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता महसूस की गई जो ग्रामीण जन के हृदय तक पहुंचकर उनकी सेवा कर सके। इसी आवश्यकता से प्रादुर्भाव हुआ "पैरालीगल वालेन्टियर्स" की अवधारणा का।

पैरालीगल वालेन्टियर्स की नियुक्ति में ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई है जो विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान हेतु कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में रूचि रखता हो, सेवानिवृति अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक एवं अन्य जो समाजसेवा में रूचि रखते हों। उक्त अर्हतायें रखने वाले बिना किसी स्वार्थ के निःस्वार्थ भाव से पैरालीगल वालेन्टियर के रूप में कार्य करने के लिए तत्पर हों, उनके पैरालीगल वालेन्टियर्स के चयन में प्राथमिकता दी जाती है और इसी आधार पर वालेन्टियर्स के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती है।

पैरालीगल वालेन्टियर कौन हो सकता है :–

1. एडवोकेट, शासकीय व अशासकीय विद्यालय व महाविद्यालयों के शिक्षक एवं व्याख्याता या अध्यापकगण।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
3. शासकीय / अशासकीय (प्रायवेट) चिकित्सक एवं अन्य कार्यरत् या रिटायर्ड शासकीय कर्मचारीगण।
4. राज्य एवं केन्द्रीय शासन के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के क्षेत्रीय / फील्ड अधिकारीगण।
5. विधि छात्र, शिक्षा, समाजसेवी।
6. अशासकीय संस्थाओं / क्लब के सदस्यगण।
7. महिला संगठनों के सदस्यगण।

8. केन्द्रीय/जिला जेल में लम्बी अवधि के लिए दण्डित शिक्षित बंदीगण।
9. सामाजिक कार्यकर्ता एवं वालेन्टियर्स, पंचायत राज और नगर पालिका/निगम संस्थाओं के स्वैच्छिक कार्यकर्तागण।
10. सहकारी समितियों के सदस्यगण।
11. ट्रेड यूनियन के सदस्यगण।
12. ऐसे अन्य व्यक्ति जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा पैरालीगल वालेन्टियर्स के रूप में पहचाने/चयनित किये जायें।

पैरालीगल वालेन्टियर्स की अयोग्यता एवं उन्हें पदच्युत/हटाया जाना –

1. विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्यन में कम सहयोग देना/कम रूचि रखना।
2. दिवालिया होना।
3. किसी अपराध का अभियुक्त होना।
4. पैरालीगत वालेन्टियर्स के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना।
5. राजनैतिक पार्टियों से संबंध हो।
6. अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग कर चुका हो कि उसका पैरालीगल वालेन्टियर के रूप में कार्य करना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो।

पैरालीगल वालेन्टियर्स के कर्तव्य :–

1. पैरालीगल वालेन्टिर अपने गांव मोहल्ले एवं आस–पास के नागरिकों को सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए उनके अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी देकर या शिक्षित कर जागरूक करेगा।
2. पैरालीगल वालेन्टियर नागरिकों को विवादों/समस्याओं की प्रकृति के संबंध में जागरूक कर उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम

से अपने प्रकरणों को/विवादों को निराकरण हेतु संपर्क करने हेतु प्रोत्साहित/जागरूक करेगा।
3. पैरालीगल वालेन्टियर अपने कार्य क्षेत्र में विधि के नियमों को भंग करने वाले या अन्याय करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समितियों को दूरभाष पर या लिखित सूचना या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो प्रतिकार करने वाला हो, तुरंत कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
4. पैरालीगल वालेन्टियर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समितियों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने में सहयोग देगा।
5. पैरालीगल वालेन्टियर आम नागरिकों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा किए जा रहे विधिक सेवा कार्यकलापों की और उक्त संस्थाओं के पतों की जानकारी देने के लिए पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु जागरूक करेगा।
6. पैरालीगल वालेन्टियर लोक अदालत, समझौता, मध्यस्थता एवं अर्बिट्रेशन के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने के लिए आम नागरिकों को जागरूक/प्रोत्साहित करेगा।
7. पैरालीगल वालेन्टियर प्रिलिटिगेशन विवादों को बिना व्यय के (बिना कोर्ट फीस आदि खर्च किए) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समितियों के माध्यम से निपटाने के लिए प्रचार–प्रसार करेगा।
8. पैरालीगल वालेन्टियर आम नागरिकों को यह जानकारी देकर जागरूक करेगा कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से समझौते के आधार पर निपटा लिये जाने पर उन प्रकरणों में पूर्व में जमा की गई कोर्ट फीस वापिस पाने के

हकदार है तथा लोक अदालत में निर्णित प्रकरणों की कोई अपील आदि नहीं होती है।

9. पैरालीगल वालेन्टियर आम नागरिकों को, लोकोपयोगी सेवा जैसेः– यातायात सेवा, डाक–तार या टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, स्वच्छता संबंधी सेवा, अस्पताल या औषधालय या बीमा संबंधी सेवाओं से संबंधित विवादों को स्थायी लोक अदालत के माध्यम से बिना खर्चे के निपटाया जा सकता है, जागरूक करेगा।

10. पैरालीगल वालेन्टियर विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित तथा शासन द्वारा आम नागरिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देगा एवं वृहद् प्रचार प्रसार हेतु प्रचार सामग्री का प्रदर्शन महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लोक स्थानों पर करेगा।

11. पैरालीगल वालेन्टियर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा अपने कार्यकलापों का मासिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

12. पैरालीगल वालेन्टियर अपने क्षेत्र में स्थापित कानूनी सेवा क्लीनिक (लीगल एड क्लीनिक) के प्रभावी कार्य संपादन में सक्रिय सहयोग देगा।

पैरालीगल वालेन्टियर द्वारा विधिक सेवायें प्रदत्त करने के दौरान बस/रेल किराया, पोस्टेज स्टेम्प, टेलीफोन, लेखन सामग्री आदि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति, उसके द्वारा देयक/रसीद प्रस्तुत करने पर संबंधित विधिक सेवा संस्था द्वारा की जावेगी।

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL